<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : <u>मनोज गोयल,</u>

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 868–पीबीआर/2012, विरूद्ध आदेश दिनांक 17–01–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 8/निगरानी/2011–12

1– सिद्धनाथ पिता गोपाल जी,
हाल निवासी– ग्राम उन्हेल तहसील,
खाचरोद, जिला–उज्जैन

2– सुल्तान पिता अमीर जी नायता,
निवासी–ग्राम जस्साखेड़ी, तहसील बड़नगर
जिला–उज्जैन

3– नागू पिता लक्ष्मण मृतक वारिसानः–
1. भागीरथ पिता स्व0 श्री नागू,
2. मदन लाल पिता स्व0 श्री नागू,
निवासी–ग्राम जस्साखेड़ी, तहसील बड़नगर
जिला–उज्जैन ..... आवेदकगण

<u>विरूद्ध</u>

1– रामा पिता लक्षमण मृतक वारिसानः–
1. नरसिंह,
2. आसाराम,
3. बद्रीलाल,
4. मोहन,
5. सेवाराम पुत्रगण पिता रामा,
6. सीताबाई बेवा रामा,
निवासी–ग्राम जस्साखेड़ी, तहसील बड़नगर
जिला–उज्जैन ..... अनावेदकगण

.....

श्री कैलाश जोशी अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0एन0मित्तल, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/9/14 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–01–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक रामा जो कि अब मृतक हो चुके है, के द्वारा वर्ष 2005 में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे नं0 86/1 रकबा 0.125 एवं सर्वे नं0 86/3 रकबा 10 कुल रकबा 1.35 पर बन्दोबस्त के दौरान गलत तरीके से बिना सूचना दिए आवेदक का नाम अंकित हो गया, जो प्रकरण क्रमांक 2/अ–6/2005–06 दर्ज होकर तहसीलदार बड़नगर द्वारा दिनांक 21.12.2007 से अनावेदक रामा द्वारा प्रस्तुत आवेदन इस कारण निरस्त कर दिया कि आवेदन धारा 89 के अन्तर्गत पेश किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि, मेरा नाम बन्दोबस्त पूर्व था अब नहीं है । वर्तमान भूमि स्वामी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर होना बताया गया है । तहसीलदार बड़नगर के विरूद्ध अनावेदक द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रं0 39/अपील/2007–08 पर दर्ज होकर अपील न्यायालय ने भी आवेदन पत्र धारा 89 के अन्तर्गत पेश होने से प्रस्तुत अपील सारहीन एवं निरस्तयोग्य मान्य किया है । अनावेदक रामा ने न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 216/2008–09 दर्ज होकर इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड कर दिया गया कि, प्रकरण में पक्षकारो को सुनवाई का अवसर व साक्ष्य का अवसर देकर प्रकरण का निराकरण किया जावें । न्यायालय अपर आयुक्त के रिमाण्ड के आदेश के बाद प्रकरण वापस न्यायालय नायब तहसीलदार परगना बड़नगर के यहॉ पर प्रकरण क्रमांक 3/अ–6/2010–11 पर पंजीबद्ध हुआ । उक्त प्रकरण में आवेदकगण द्वारा

आदेश 1 नियम 10 (2) सहपठित धारा 151 एवं दूसरा आवेदन पत्र आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 7 नियम 14 सहपठित धारा 151 के तहत प्रस्तुत हुआ । जिसका विरूद्ध अनावेदकगण के द्वारा किया गया । अनावेदकगण ने आवेदक के आवेदन पत्र के विरूद्ध नायब तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा बगैर कोई कारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत दोनों आवेदन एवं अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन पत्र अर्थात् तीनों आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया गया । आवेदक द्वारा उक्त आदेश से दुखित होकर न्यायालय अपर कलेक्टर उज्जैन के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 8/निगरानी/2011–12 पर पंजीबद्ध हुआ । न्यायालय अपर कलेक्टर उज्जैन द्वारा न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2011 विधि संगत एवं वैधानिक मानते हुए दिनांक 17.01.2012 को आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया । न्यायालय अपर कलेक्टर उज्जैन द्वार पारित आदेश दिनांक 17.01.2012 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बड़नगर, के समक्ष जो संशोधन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं वह अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन के अपील प्रकरण क्रमांक–215/2008–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 21.05.2010 के अनुसार प्रकरण पक्षकारों की सुनवाई एवं साक्ष्य के आधार पर रिमाण्ड किया गया हैं। ऐसी दशा में प्रकरण में कोई नवीन परिस्थितियॉ अब उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं तााि प्रकरण पूर्व में जो प्रस्तुत किया गया उसी पर सुनवाई की जाना संशोधन कर प्रकरण की स्थिति को बदलने का प्रयास किया जा रहा हैं जो किसी भी दशा में अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार प्राप्त नहीं है । आदेश 1 नियम 10 सीपीसी की स्थिति विधि अनुसार पक्षकार जोड़े जाने का प्रश्न साधारणतः प्रारंभिक अधिकारिता का होता है । प्रकरण जब अपील न्यायालय से पुनः रिमाण्ड किया जावे तब उक्त

अधिकारिता प्राप्त नहीं होती हैं । आवश्यक पक्षकार कौन हैं एवं उस पक्षकार से क्या सहायता प्राप्त की जाना चाहिए इस बात का मामले की तथ्य एवं परिस्थिति के अनुसार न्यायिक विवेचना की जाना चाहिए की उक्त पक्षकार क्यों जोड़ा जाना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बगैर किसी कारण के आवेदन पत्र स्वीकार यिा गया जो प्रदर्श पी 2 से स्पष्ट हैं । पक्षकार को जोड़ा वाद का आयाम परिवर्धित किया जाना अनुज्ञाप्त नहीं किया जाना चाहिए, विवादको के बाहुल्य से भी बचना चाहिए । न्यायदृष्टांत तनसुखलाल विरूद्ध श्रीमती विनिता 2000 (1) एम पी विकली नोट 72 साथ ही यह मामले के तथ्य परिस्थिति के अनुसार न्यायिक विवेकाधिकार का है जो स्पष्ट नहीं है । वनमाली दास विरूद्ध श्रीमती श्यामारानी काबरा 1986 (2) एम पी विकली नोट 86 । प्रकरण का मूल स्वरूप संहिता की धारा 115, 116 होकर जिस दिनांक को आवेदन पत्र तहसीलदार बड़नगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया उसकी अवधि एक वर्ष की बताई गई है और ऐसी स्थिति में यदि कोई नवीन पक्षकार प्रकरण में जोड़ा जाता है तो उक्त नवीन पक्षकार की स्थिति प्रकरण में उस दिनांक से प्रभावशील होगी जिस दिन वह जोड़ा जावेगा । इस प्रकार प्रकरण की वास्तवतिक स्थित ही परिवर्तित हो जावेगी और प्रकरण अवधि बाह्य हो जावेगा। ऐसी स्थिति में जबकि, जोड़े जानेवाला पक्षकार न तो उचित पक्षकार है और न ही आवश्यक पक्षकार हैं । उसके बावजूद भी ऐसा कोई कारण भी दर्शित नहीं है कि, इसके कारण आवेदक न्याय प्राप्त करने में विफल हो जावेगा और न ही आवेदक ने कोई सहायता भी नहीं चाही है । इस कारण से केवल अनावश्यक रूप से पक्षकारों को जोड़ने का जो आदेश दिया हैं वह विधिपूर्ण नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और मूल प्रकरण में संशोधन के द्वारा पद जोड़ने का निवेदन किया गया है उक्त आवेदन पत्र भी प्रकरण रिमाण्ड की स्थिति में सुनवाई योग्य एवं स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि रिमाण्ड आदेश के तहत प्रकरण में केवल उन्हीं तथ्यों के विषय में सुना जाना चाहिए जिसके संबंध में पूर्व में निवेदन किया गया है । यदि प्रकरण में नवीन तथ्य संलग्न किए जावेगे तो निश्चित ही प्रकरण का स्वरूप

परिवर्तित होगा । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उस संशोधन को भी क्यों स्वीकार किया जावें ऐसा कोई आधार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश प्रदर्ग पी 2 में दर्शित नहीं किया हैं न तो उक्त संशोधन किसी पश्चातवर्ती घटना के आधार पर आधारित है और न ही उक्त तथ्य किसी दूसरे पक्षकारों को कोई हानि कारित हो के कारण संशोधित किया जाना आवश्यक है कि उक्त संशोधन से मूल आवेदन पत्र का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और ऐसे संशोधन को नहीं जोड़ा जा सकता है । उचित कारण नहीं बताया गया स्वीकार नहीं किया जा सकता है । चन्द्रशेखर जैन विरूद्ध सुशील जैन 2001–02 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 103 के समकक्ष 2001 (3) एम0पी0एल0जे0 191 न्याय उदाहरण है । संशोधन सुसंगत नहीं तथा वास्तविक विवाद के न्याय निर्णित के लिए आवश्यक नहीं, अनुज्ञाप्त नहीं किया जा सकता है । आई0बी0पी0बी0 कं0लि0 विरूद्ध प्रवीण कुमार 1999 (2) एम0पी0डब्ल्यू0एन0 1948 इसी प्रकार यदि यह साक्ष्य का विषय है तो अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है । नाथूमल विरूद्ध अतुल कुमार लालवानी 1996 म0प्र0 विकली नोट 157 संशोधन के लिए आवेदन आवश्यक है अथवा नहीं इस पर विचार न्यायालय का दायित्व है संशाधन सुसंगत नहीं अनुज्ञात करना आवश्यक नहीं 1995 (1) एम0पी0विकली नोट 95 विलंबित संशोधन आवेदन पत्र वाद की प्रकृति बदलने की संभावना ठीक खारिज किया गया जाना चाहिए । वर्दिया विरूद्ध पुना 1986 (2) एम0पी0 विकली नोट 83 इसी प्रकार पश्चातवर्ती घटना के रूप में अभिवचन नहीं किया जा सकता ऐसा संशोधन नामंजूर किया जाना चाहिए । 1994 (2) एम0पी0 विकली नोट 235 ऐसे अनेको न्याय उदाहरण है जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संशोधन कब, क्यों और किन परिस्थितियों में किया जाना उचित और वे कब की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने बगैर कोई विचार कर बगैर कोई कारण के आवेदन पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की है । इसी प्रकार अनावेदक के द्वारा तहसीलदार बड़नगर के समक्ष आदेश 7 नियम 14 का आवेदन पत्र दस्तावेज प्रस्तुती करण का प्रस्तुत किया गया है । जिसमें एक निर्णय की प्रति और मुख्त्यारनामा एवं शपथ पत्र प्रस्तुती के संबंध में बताया गया है । उक्त सभी दस्तावेज आवेदन पत्र

प्रस्तुती के पूर्व के होकर यथा समय क्यों प्रस्तुत नहीं किए गए ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में जो विलंब उत्पन्न हुआ है उस विलंब को क्षमा करने हेतु कोई उचित कारण भी दर्शित नहीं किया गया है कि, उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने से क्यों रह गए है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बगैर किसी उचित कारण के दस्तावेज का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया और बगैर कोई कारण भी दर्शित नहीं किया है प्रदर्श पी 2 के आदेश से यह स्पष्ट होता है । आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क यह भी बताया है कि प्रकरण की स्थिति को यदि पूर्ण रूप से दृष्टिगत करा जावें तो यह स्पष्ट होता है कि धारा 115, 116 का आवेदन पत्र माननीय न्यायालय में विचारण योग्य ही नहीं है । जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है वह समय बाधित हैं अर्थात् प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार आवेदक को प्राप्त नहीं था क्योंकि आवेदक के द्वारा उक्त आवेदन पत्र पूर्व के न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 बड़नगर के समक्ष एक आवेदन पत्र स्वत्व घोषणा की सहायता हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 26.06.2004 को निर्णय पारित किया गया और उक्त निर्णय के अनुसार पैरा क्रमांक 21 में यह निष्कर्ष आया कि, वाद अवधि सीमा में नहीं है इस कारण से कथित वाद योग्य नहीं और वाद निरस्त किया गया जिसकी अपील अपर जिला न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो 19/2005 पर कायम की जाकर उक्त अपील में भी 15.07.2005 को यह घाषित किया गया कि, प्रस्तुत अपील भी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाये जाने से निरस्त की गई और इस प्रकार से आवेदक को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं होने पर भी यह आवेदन पत्र अवधि बाह्य तहसीलदार बड़नगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । दोनों सिविल न्यायालय के निर्णय की फोटो कॉपी संलग्न प्रेषित की जा रही है । वादग्रस्त भूमि पर कभी भी अनावेदक का कब्जा नहीं रह है । क्रय दिनांक सं आवेदक क्रं0 2 उक्त भूमि पर काबिज है तथा आवेदक का नामांतरण भी शासकीय अभिलेखों में हो चुका है । अनावेदक क्रं0 3 की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रकरण में अनावेदक क्रं0 1 जो की शासकीय नोकर पटवारी होकर उसे अनावश्यक रूप से प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है न तो आवेदक क्रं0 1 के द्वारा कोई आदेश लिखा गया है केवल शासकीय

अभिलेखों में आदेशानुसार कार्यवाही की जाने की दशा में वे सभी आदेशित किए जाने वाले अधिकारी भी प्रकरण के आवश्यक पक्षकार है जिन्हें प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है । अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार बड़नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2011 एवं अपर कलेक्टर, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.01.2012 विधि एवं विधान के अनुरूप से निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने मृतक रामा अनावेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों न्यायदृष्टांतों पर गंभीरता से विचार कर प्रकरण का अध्ययन मनन करने के पश्चात विधि विधान एवं वरिष्ठ न्यायालयों के आदेश और न्यायदृष्टांतों के आधार पर आलोच्य आदेश दिनांक 05.05.2011 एवं दिनांक 17.01.2012 पारित किये गये है । दोनों अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसंगत वैधानिक एवं न्यायोचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । निगनरानीकर्ता की निगरानी निराधार है । अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण का न्यायिक निराकरण करने में अनावश्यक विलम्ब कारित करने की दुर्भावना करने से यह निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्ती योग्य है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1975 रेवेन्यु निर्णय 167 विथैली तथा अन्य विरूद्ध दिलुआ तथा अन्य, 2005 रेवेन्यु निर्णय 212 शुकुन तथा अन्य बनाम हरिराम तथा एक अन्य, 1998 रे0नि0 पृष्ठ 296 मनोहर तथा अन्य बनाम लोकेन्द्र, 1994 ए0आई0आर0 म0प्र0 181 कामताप्रसाद एवं अन्य बनाम श्रीमती विद्यावती एवं अन्य, 2006 (3) एम0पी0 विकली नोट 97 सु0को0 बलदेव सिंह बनाम मनोहर सिंह एवं अन्य, 2006 (3) एम0पी0एल0जे0 नाथुराम एवं अन्य बनाम रघुवीर दास एवं 2005 (1) एम0पी0 विकली नोट 76 महावीर प्रसाद जैन बनाम शंभू कुचबंदिया आदि उल्लेख किया है । अतं में अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2011 एवं अपर कलेक्टर उज्जैन द्वारा दिनांक 17.01.2012 यथावत एवं स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.05.2011 में अनावेदक पक्ष द्वारा प्रस्तुत दोनों आवेदनों को स्वीकार किया गया लेकिन स्वीकार करने के कोई कारण नहीं बताए । अपर कलेक्टर द्वारा भी इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में पारित आदेश में कोई कारण बताए बिना निगरानी निरस्त की ।

अनावेदक के द्वारा विचारण न्यायालय के सी0पी0सी0 आदेश 1 नियम 10 तथा आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत दो आवेदन पेश कर प्रकरण में पटवारी हल्का नं0 26 तथा पूर्व पटवारी श्री सिद्धनाथ धाकड़ को पक्षकार बनाने एवं अपने मूल आवेदन में संशोधन करने का अनुरोध किया है । पटवारी एक शासकीय कर्मचारी होता है तथा उसके द्वारा शासकीय कर्तव्यों के पालन में कार्यवाही की जाती है । यदि उनके माध्यम से अनावेदक कुछ प्रमाणित करना चाहता है तो उसे साक्ष्य के रूप में आहूत किया जा सकता है, लेकिन उसको दो पक्षकारों के विवाद में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है । इसी प्रकार प्रकरण में पूर्व में अपीलें होकर पुनः रिमाण्ड होकर कार्यवाही प्रचालित है । अतः इस स्टेज पर अब मूल आवेदन में संशोधन नहीं किया जा सकता है ।

स्पष्ट है कि तहसीलदार ने अनावेदक के दोनों आवेदन स्वीकार करने में त्रुटि की है । अतः तहसीलदार का आदेश दिनांक 05.05.2011 जहॉ तक अनावेदक के दोनों आवेदनों स्वीकार करने के सम्बन्ध में है निरस्त किया जाता है । अपर कलेक्टर का आदेश भी इन्हीं कारणों से निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर